

21/4/18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री सतेन्द्रसिंह तोमर।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षी कुलदीप उप0। उसकी ओर से अधिवक्ता श्री गंभीरसिंह निगम ने मेमो पेश किया।

फरियादी ने प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की।

उमय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उमय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उमयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ मौहम्मद अजहर एएसजे गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उमय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। मध्यस्थ को

निर्दिष्ट किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी

GRPG-138-Forms-1250-11-4,00,000

24/11/18
गंभीरसिंह

गंभीरसिंह
गंभीरसिंह

गंभीरसिंह

गंभीरसिंह

गंभीरसिंह
गंभीरसिंह

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।</p> <p>उमयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष दिनांक 23.02.18 को 12 बजे स्वतः उपो रहें।</p> <p>प्रकरण आगामी दिनांक 27.02.18 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।</p> <p>(A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad Distt. Bhind (M.P.)</p> <p><u>पुनश्च:</u></p> <p>राज्य द्वारा ए डी पी ओ।</p> <p>अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री अधिवक्ता श्री सतेन्द्रसिंह प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।</p> <p>फरियादी / आहत कुलदीप सहित अधिवक्ता श्री गंभीरसिंह निगम।</p> <p>फरियादी / आहत की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री जी0एस निगम एव अभियुक्तगण की पहचान उसके अधिवक्ता श्री सतेन्द्रसिंह तोमर द्वारा की गई।</p> <p>उमयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी मय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी / आहत संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं।</p> <p>अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जात है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323, 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त</p>	<p>(A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad Distt. Bhind (M.P.)</p> <p>कुलदीप गंभीरसिंह जी.डी.एस. गंभीरसिंह गंभीरसिंह</p>

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है। आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।</p> <p style="text-align: center;">(A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad district (M.P.)</p>	